150

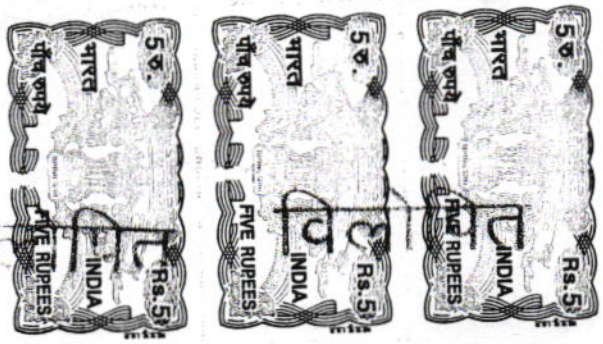

7-

विलोपित विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी 554-I-15

प्रकरण क्रमांक /१५ निगरानी

श्री ...... द्वारा आज दि. 17-3-15 प्रस्तुत 17-3-15 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१- रमेश
२- हरप्रसाद
३- छोटेलाल
| पुत्रगण टुण्डा ढीमर

४- महिला भुवानी बाई बेवा टुण्डा ढीमर
५- कामता प्रसाद पुत्र नाथूराम,
६- श्रीमती कुसुम पत्नी लक्ष्मण रैकवार,
समस्त निवासीगण ग्राम नैगुवा, तहसील-नौगांव,
जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थीगण

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन ------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर दिनांक २८-०२-१५ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र० क्र० १०३/स्व०नि०/अ-१९/१२-१३

17/3/015

श्रीमान जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एक लम्बे समय के पश्चात् प्रकरण में स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग किये जाने में भूल हुई है । इस संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों के अभि-निर्धारणों पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

क्रमश :--२

-1-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 554/एक/2015 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-8-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 103/स्व.निग./अ–19/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम नैगुंवा की भूमि सर्वे नं. 1061 रकवा 0.490 हैक्टेयर, सर्वे नं. 1293 रकवा 0.243 हैक्टेयर, सर्वे नं. 1294 रकवा 0.134 हैक्टेयर वर्ष 1986–87 के खसरे में शासकीय अंकित होकर बंजर नोईयत की दर्ज है। आवेदकगण के पिता टुण्डा ने दिनांक 29.10.86 को विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका 15 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। वह भूमिहीन श्रेणी का लघु कृषक है, उसके	

परिवार के 8 व्यक्तियों के उदर–पोषण का इस भूमि का सहारा है। भूमि हर प्रकार से निस्तार से बाहर है, अतः प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम व्यवस्थापित की जाये। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक1/अ–19(4)/ 1986–87 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया। आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी तत्पश्चात् ग्राम पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर व उसका कथन लेकर आदेश दिनांक 29.05.1987 से म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही, दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारी का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया। बाद में दिनांक 15.05. 1993 को जिला स्तर पर अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा इस प्रकरण का परीक्षण करने पर अनियमितताएं पाये जाने पर प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में पंजीबद्ध कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका विधिवत जबाव आवेदकगण की ओर से दिया गया, जिस पर विचार किये बिना अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2015 से विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.1987 निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों को

उसके वारिसों द्वारा विक्रय किये जाने के कारण तथा इन भूमियों में अपने हित सुरक्षित न रखे जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमियाँ शासकीय अंकित किये जाने का आदेश पारित किया। अपर कलेक्टर, छतरपुर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह वर्तमान निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि आवेदकगण को तहसीलदार नौगांव द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम सन् 1984 के अनुसार व्यवस्थापन किया गया था, जिसके पश्चात् आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया, जिसमें आर्थिक व्यय एवं शारीरिक श्रम किया गया। आज वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी हो गयी है, किन्तु अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर.एन. 273, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च.न्याया. के

न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये, अंत में अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2015 निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4– अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं मेरे द्वारा आवेदक, अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्य अध्ययन किया। तहसीलदार नौगांव का आदेश दिनांक 29.05.1987 एक अपीलीय आदेश था, जिसके विरूद्ध किसी भी व्यक्ति अथवा शासन द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है। अपीलीय आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अथवा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश का प्रश्न है तो उसके द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

आकर्षित नहीं होते, ऐसी भूमि के क्रेता का नामान्तरण अपास्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांत पर विचार किये बिना जो आदेश अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2015 निरस्त किया जाकर तहसीलदार नौगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.1987 स्थिर रखा जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य